- (ii) with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400); and
- (b) possessing the following qualifications and experience :
- (I) Bachelor's degree in Nuclear Medicine Technology from a recognised University or institute; or
- (II) A bachelor's degree in Science from a recognised University or institute and Post Graduate degree or Diploma in Nuclear Medicine Technology or Diploma in Medical Radio-Isotope Technology from a recognised University of institute.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another Excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A.12018/17/2016-MH-II] G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.369.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध विद्युत तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (विद्युत तकनीशियन) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 4. **निरर्हता**.— वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1) विद्युत तकनीशियन	(2) 2* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर (4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500- 81100)	(5) लागू नहीं होता	(6) 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या	(8) लागू नहीं होता	(9) दो वर्ष	(10) सीधी भर्ती द्वारा
बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से विद्युत व्यवसाय में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित			
अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार वहां उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं।			
टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार वहां उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन
या आमेलन द्वारा भर्ती की		परिस्थितियों में
दशा में वे श्रेणियां जिनसे		संघ लोक सेवा
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/		आयोग से परामर्श
आमेलन किया जाएगा		अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता।
	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:	
	1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष	
	2. उपनिदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य	
	3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का	
	कार्य देख रहे उपनिदेशक (प्रशासन) - सदस्य	

[फा. सं.ए.11018/25/2019-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 19th December, 2019

- **G.S.R. 369.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Electrical Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrical Technician, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Electrical Technician) Recruitment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes. The Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection
				post or non-selection
				post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Electrical	2*(2019)	General Central	Level-4 in the pay	Not applicable.
Technician.	*(subject to variation	Service, Group 'C',	matrix (25500-81100/-)	
	dependent on workload).	Non- Gazetted,		
		Non-Ministerial.		

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct
	recruits
(6)	(7)
Between 21 and 27 years.	(a) 12 th pass from recognised University or board and
(Relaxable for departmental candidates upto forty years in	(b) Diploma or Certificate in Electric Trade from
accordance with the instructions or orders issued by the	Industrial Training Institute or any other institute
Central Government from time to time).	recognised by the Central Government or State
Note The crucial date for determining the age limit shall	Government or Union Territory or the Central
be the closing date for receipt of applications from candidates not the closing date prescribed for those in	Government:
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of	(c) Two years experience in the trade.
Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands	Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

and Union Territory of Lakshdweep	Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at
	the discretion of the Competent Authority for the reasons to
	be recorded in writing in the case of candidates belonging
	to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any
	stage of selection the Competent Authority is of the opinion
	that sufficient number of candidates belonging to these
	communities possessing the requisite experience are not
	likely to be available to fill up the vacancies reserved for
	them

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	•	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct Recruitment

In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstances in
promotion or deputation or	composition	which Union Public
absorption grade from which		Services Commission
promotion or deputation/		is to be consulted in
absorption to be made		making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for	Not applicable.
	considering confirmation)consisting of :-	
	1. Additional Medical Superintendent Lady Hardinge Medical	
	College -Chairman;	
	2. Deputy Director(Admin), Lady Hardinge Medical	
	CollegeMember;	
	3. Deputy Director(Admin) looking after the work of Lady	
	Hardinge Medical College in Directorate General of Health	
	Services -Member.	

[F. No.A.11018/25/2019-MH-II] G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.370.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जैव-चिकित्सा इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, जैव-चिकित्सा इंजीनियर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;